

UPFR010054202025



Criminal Misc. Cases/766/2025 Maudarwaja
State Government Vs. Ajeet kumar and other
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या-02, फर्रुखाबाद

उपस्थित:- तरुण कुमार सिंह-I-----एच०जे०एस० J.O.Code-UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-766/2025

राज्य प्रति जामिनदार अजीत एवं एक अन्य

27.06.2026

प्रकीर्ण वाद से सम्बन्धित मूल पत्रावली सत्र वाद संख्या 359/2025, मुकदमा अपराध संख्या 427/2021, धारा 302/34 भा.दं.सं. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद का निर्णय दिनांक 23.06.2026 को हो चुका है, जिसमें अभियुक्त शीलू यादव को दोषमुक्त किया गया है। चूँकि मूल पत्रावली में निर्णय हो चुका है और अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है।

अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकीर्ण वाद अपने आप में ही औचित्यहीन हो गया है, तद्विस्तार वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

इस आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली सत्र वाद संख्या 359/2025 में रखी जाए।

(तरुण कुमार सिंह- I)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),

फर्रुखाबाद।